

विस्थापन का दर्द : वास्तविक या कृत्रिम ।

मुज्जप्फर नगर दंगों के बाद बड़ी संख्या में मुसलमानों का पलायन हुआ और वे निकटवर्ती शॉट क्षेत्रों में तात्कालिक रूप से रहने लगे। ऐसे लोगों की हालत दयनीय थी। उनकी स्थिति को देखकर मन करुणा से भर जाता था, यहाँ तक कि तटस्थ हिन्दुओं का भी। ऐसे पलायन कर चुके कुछ लोगों में से, कुछ लोग अपने-अपने घरों में वापस चले गये। यद्यपि उन्हें वापस जाने में भी डर लग रहा था, लेकिन वे कुछ खतरा उठाकर भी अपने-अपने घरों को लौट गये। उत्तरप्रदेश की अखिलेश सरकार ने भी उन्हें वापस जाने में मदद की यहाँ तक कि वापस जाने वाले परिवारों को पाँच-पाँच लाख तक की आर्थिक सहायता भी दी गई। फिर भी कुछ लोग कैम्पों में रुके रह गये। यहाँ तक कि कुछ लोग तो पाँच लाख रुपया सहायता लेने के बाद भी वापस नहीं गये और कुछ लोग आज तक वापस जाने को तैयार नहीं हैं।

प्रारम्भिक काल में कैम्पों में पेशेवर साम्प्रदायिक राष्ट्र विरोधी तत्वों का समावेश नहीं था। धीरे-धीरे इन कैम्पों में ऐसे तत्वों का समावेश होता गया तथा बचे हुए लोगों में से अनेक ने इस घटना को एक व्यवसाय मानकर राज्य सरकार का अधिकतम शोषण करने का प्रयास शुरू किया। ऐसे तत्व एक ओर तो भय का नाटक करते थे, दूसरी ओर अधिक से अधिक करुणा के दृश्य दिखाने का भी नाटक करते थे। तीसरी ओर इनके एजेंट मीडिया के माध्यम से उत्तरप्रदेश सरकार या भारत सरकार पर भी ऐसा दबाव बनाते थे जैसे कि कैम्प में बचे लोगों को बहुत ही अमानवीय स्थिति में रहना पड़ रहा है। अखिलेश सरकार ने बहुत हिम्मत करके ऐसे कैम्पों को बन्द करने का प्रयास किया। इसका लाभ अन्य राजनैतिक दलों ने भी बहुत उठाया और अब भी कुछ लोग अपने कैम्पों में बचे हुए हैं। स्पष्ट दिखता है कि जो लोग वापस हुए हैं, उनसे किसी के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई है। फिर भी या तो ये लोग जाना नहीं चाहते हैं या पेशेवर राजनेता अपने राजनैतिक लाभ के लिए उन्हें रोककर रखना चाहते हैं।

विस्थापन अथवा पलायन की ऐसी ही घटना कश्मीर में भी हो चुकी है। वहाँ से भी बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित पलायित होकर या तो जम्मू चले गये अथवा भारत के अन्य शहरों में बस गये। कश्मीर में भी लगभग वैसा ही हुआ, जब ऐसे विस्थापित कश्मीरी पंडितों में से कुछ संख्या में पंडित अपने घरों को चले गये और मुज्जप्फर नगर सरीखे ही कुछ लोग कैम्पों में रह गये। सरकार से सुविधाएं भी लेते रहे और अन्य सुविधाओं की माँग भी करते रहे। आज तक काफी संख्या में कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर अन्य जगहों पर रह रहे हैं और जिस तरह मुज्जप्फर नगर में मुस्लिम साम्प्रदायिक तत्व अर्थात् बसपा-काँग्रेस तथा कुछ अन्य लोग जिनमें मीडिया कर्मी भी शामिल हैं, वहाँ की सरकार को बदनाम करने के लिए नमूने के तौर पर ऐसे लोगों को प्रतीक स्वरूप रखे हुए हैं। उसी तरह कश्मीर में भी कश्मीरी पंडितों को वापस जाने से रोकने को साम्प्रदायिक हिन्दू विशेषकर संघ-भाजपा के लोग हथियार के तौर पर उपयोग कर रहे हैं।

फिर भी यदि गहराई से सोचा जाए तो ये दोनों समस्याएँ लगभग समान होने के बाद भी कुछ भिन्न हैं। मुज्जप्फर नगर में जो पलायन हुआ उसका कारण साम्प्रदायिक हिन्दुओं का मुसलमानों पर कोई अत्याचार नहीं था, बल्कि साम्प्रदायिक मुसलमानों का बढ़ा हुआ मनोबल था। क्योंकि वहाँ शक्ति प्रदर्शन की पहल साम्प्रदायिक मुसलमानों ने ही की थी। यद्यपि इसका परिणाम वहाँ के शॉति प्रिय मुसलमानों को झेलना पड़ा। दूसरी ओर कश्मीरी पंडितों का पलायन भी साम्प्रदायिक मुसलमानों द्वारा अपने शक्ति प्रदर्शन के रूप में तथा कश्मीर को हिन्दुओं से खाली कराने के उद्देश्य से पैदा हुआ। दोनों के परिणाम भले ही एक समान हुए जिसमें शॉति प्रिय हिन्दू और शॉति प्रिय मुसलमानों को भोगना पड़ा, किन्तु दोनों घटनाओं के कारण साम्प्रदायिक मुसलमान ही थे। यद्यपि दोनों घटनाओं से लाभ साम्प्रदायिक हिन्दुओं को ही हुआ। कश्मीरी पंडित चाहे जिस दशा में रह रहे हों, जितने परेशान हों, किन्तु उनका लाभ साम्प्रदायिक हिन्दू संगठनों को मिल रहा है। मुज्जप्फर नगर में हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच राजनैतिक ध्रुवीकरण हुआ और उसका लाभ अलग-अलग राजनैतिक दलों के लोग उठा-उठा कर प्रसन्न हो रहे हैं।

यदि गंभीरता से सोचा जाए तो स्वतंत्रता के बाद भारत में लगातार साम्प्रदायिकता का विस्तार हुआ है। इसकी शुरुवात स्वतंत्रता के शीघ्र बाद नेहरू और पटेल के बीच विचार भिन्नता के रूप में देखना चाहिए। गाँधी हत्या एक शुद्ध साम्प्रदायिक

घटना थी, जिसके पीछे हिन्दू-राष्ट्र की भावना काम कर रही थी। भले ही इस हत्या से संघ का कोई सीधा संबंध नहीं था, किन्तु इस भावना से संघ का निरंतर संबंध था और वह संबंध आज तक बना हुआ है। सरदार पटेल एक ईमानदार राष्ट्रवादी नेता थे, जो हिन्दुओं की ओर आँशिक रूप से झुके हुए थे। दूसरी ओर पंडित नेहरू एक समाजवादी विचारों के पोषक थे जो आँशिक रूप से मुसलमानों की ओर झुके हुए थे। भारत की राजनैतिक व्यवस्था में इन दोनों के अतिरिक्त एक तीसरे व्यक्ति भीमराव अम्बेडकर थे, जो भले ही जातीयता के आधार पर हिन्दुओं से घृणा करते हों, किन्तु साम्प्रदायिक आधार पर वे हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच में समान भाव रखते थे। सरदार पटेल और पंडित नेहरू के अलग-अलग अनेक उल्लेखनीय कार्य अब तक याद किये जाते हैं, किन्तु साम्प्रदायिकता के आधार पर दोनों ही एक समस्या के रूप में थे और आज तक हैं। गॉंधी हत्या के बाद सच्चाई यह है कि हिन्दू साम्प्रदायिकता को पूरी ताकत से कुचल देना चाहिए था। पटेल जी ने प्रारंभ में तो लोक-लाज से ऐसा कदम उठाया भी किन्तु शीघ्र ही संघ परिवार द्वारा स्वयं को सांस्कृतिक गतिविधियों तक सीमित रखने का झूठा आश्वासन पाकर विश्वास कर लिया और उन्हें सब प्रकार की छूट दे दी। संघ परिवार कितना सांस्कृतिक सीमाओं में हैं यह बात किसी से छिपी नहीं है। दूसरी ओर पंडित नेहरू ने साम्प्रदायिक हिन्दुओं को कुचलने की अपेक्षा साम्प्रदायिक-मुसलमानों को प्रोत्साहन दिया जिससे कि बैलेंस बना रहे। सब जानते हैं कि स्वतंत्रता के पहले जब भारत का विभाजन निश्चित नहीं हुआ था, उस समय विभाजन को टालने के लिए मुसलमानों को अल्पसंख्यक संरक्षण देने की बात कही गई थी। जब इस संरक्षण से संतुष्ट न होकर मुसलमानों ने पाकिस्तान ले लिया, भारत का विभाजन हो गया, इसके बाद भी अल्प-संख्यक शब्द संविधान से नहीं हटाया गया। यहाँ तक कि चापेकर बंधुओं ने संविधान बनाते समय यह प्रश्न उठाया भी तो पंडित नेहरू ने कड़े होकर उनको रोक दिया। यदि उस समय हिन्दू-राष्ट्र और अल्प-संख्यक संरक्षण जैसे मुद्दों को हटाकर सरदार पटेल और पंडित नेहरू समान नागरिक संहिता के पक्ष में हो गये होते तो भारत से साम्प्रदायिकता का यह कोढ़ मिट गया होता। मुझे विश्वास है कि समान नागरिक संहिता के पक्ष में भीमराव अम्बेडकर भी मान जाते। गॉंधी हत्या के बाद हिन्दू साम्प्रदायिकता के प्रति नरम रूख रखने वाले सरदार पटेल और उसकी भरपाई के लिए मुस्लिम साम्प्रदायिकता को संरक्षण देने वाले पंडित नेहरू, कश्मीर या कश्मीरी पंडितों और मुज्जफ्फर नगर दंगों में पलायन करने वाले शॉति प्रिय मुसलमानों के कष्टों के लिए दोषी हैं।

पंडित नेहरू समाजवाद के पोषक थे, किन्तु आश्चर्य है कि वे कभी समाजवाद का अर्थ समझे ही नहीं। समाजवाद का अर्थ होता है समाज सशक्तिकरण और जिसका धरातल पर अर्थ होता है परिवार, गाँव, जिले को अधिकतम संवैधानिक अधिकार देना। पंडित नेहरू ने समाजवाद का अर्थ किया राष्ट्रीयकरण अर्थात् राज्य सशक्तिकरण और जिसका धरातल पर अर्थ हुआ परिवार गाँव, जिले के सारे अधिकार छीनकर राज्य के पास केन्द्रित करना। दूसरी ओर सरदार पटेल ने भी राष्ट्रवाद का अर्थ नहीं समझा। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है राष्ट्र की प्रभुसत्ता को समाज के साथ जोड़ना और समाज सशक्तिकरण। सरदार पटेल ने भी विकेन्द्रित सत्ता की जगह केन्द्रित सत्ता का समर्थन किया। आश्चर्य है कि दोनों के प्रशंसक अलग-अलग गुटों में बैठकर दोनों के अलग-अलग गुणगान करने में लगे रहते हैं। जबकि दोनों की ही वास्तविकता कुछ अलग है।

अब भी सब कुछ विध्वंस नहीं हुआ है, अब भी साम्प्रदायिकता का समाधान संभव है। यद्यदि वह समस्या अब उतनी साधारण नहीं है जैसी गॉंधी हत्या के तत्काल बाद थी किन्तु समस्या चाहे जितनी विकराल हो गई हो उसका समाधान तो करना ही होगा। अब शीघ्रातिशीघ्र दो काम करने चाहिए— राष्ट्र सर्वोच्च की जगह समाज सर्वोच्च का विचार बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता है कि समान नागरिक संहिता को संविधान का भाग बनाकर उसे कड़ाई से लागू कर दिया जाए। राष्ट्र सर्वोच्च की जगह समाज सर्वोच्च की बात का साम्प्रदायिक हिन्दू पुरजोर विरोध करेंगे। दूसरी ओर समान नागरिक संहिता का साम्प्रदायिक मुसलमान भी पुरजोर विरोध करेंगे और यदि दोनों बातों को एक साथ लागू कर दिया जाए तो साम्प्रदायिक तत्व अलग-थलग पड जाएंगे। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि ऐसा कदम उठाते ही साम्प्रदायिक हिन्दू और साम्प्रदायिक मुसलमान एक-जुट हो जाएंगे, एक ही थाली में बैठकर खाना-खाने लगे, एक साथ होकर इन विचारों का विरोध करने लगे और संभव है कि साम्प्रदायिकता का कलंक भारत से मिट जाए।

रमेश चौबे : सचिव लोकस्वराज मंच ।

प्रश्न:— वर्ण व्यवस्था हिन्दू धर्म में प्राचीन काल से चले आ रहे सामाजिक गठन का अंग है, जिसमें विभिन्न समुदायों के लोगों का काम निर्धारित होता था। इनकी संतानों के कार्य भी इन्हीं पर निर्भर करते थे, तथा विभिन्न प्रकार के कार्यों के अनुसार बने ऐसे समुदायों को जाति या वर्ण कहा जाता था। प्राचीन भारतीय समाज ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्णों में विभाजित था। ब्राम्हणों का कार्य शास्त्र अध्ययन वेदपाठ तथा यज्ञ कराना होता था। जबकि क्षत्रिय युद्ध तथा राज्य के कार्यों के लिए उत्तरदायी होते थे। वैश्यों का काम व्यापार तथा शूद्रों का काम सहायता प्रदान करना होता था। प्राचीन काल में यह सब संतुलित था तथा सामाजिक संगठन की दक्षता बढ़ाने के काम आता था। परंतु कालान्तर में उँच-नीच के भेदभाव तथा आर्थिक स्थिति बदलने के कारण विभिन्न वर्णों के बीच दूरियाँ बढ़ी। आज आरक्षण के कारण विभिन्न वर्णों के बीच अलग सा रिश्ता बनता जा रहा है। कहा जाता है कि हिटलर भारतीय वर्ण व्यवस्था से प्रभावित था। भारतीय उपमहाद्वीप के कई अन्य धर्म तथा सम्प्रदाय भी इसका पालन आँशिक या पूर्ण रूप से करते हैं। इनमें सिक्ख, इस्लाम तथा इसाई धर्म का नाम उल्लेखनीय है।

शरीर के सभी अंगों का अपना-अपना महत्व व कार्य है। धार्मिक दृष्टि से कहा जाता है कि ब्रम्हा के मुख से ब्राम्हण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैर से शूद्र, चारों एक दूसरे के पूरक एक दूसरे पर निर्भरता के द्योतक हैं। चारों गुण स्वभाव से ही हम सम्पूर्णता को प्राप्त करते हैं। गुण प्रधानता स्वभाव के कारण इनका वर्णों में विभाजन हुआ। इतिहासकारों के अनुसार भारत वर्ष में प्राचीन हिन्दू वर्ण व्यवस्था— में लोगों को उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य के अनुसार अलग-अलग वर्णों में रखा गया था। वैदिक काल की प्राचीन व्यवस्था में जाति वंशानुगत नहीं होती थी। लेकिन गुप्तकाल के आते-आते अनुवांशिक आधार पर लोगों के वर्ण तय होने लगे। परस्पर श्रेष्ठता भाव के चलते नई-नई जातियों की रचना होने लगी। यहाँ तक कि श्रेष्ठता की आपसी प्रतिद्वंद्विता ने चारों वर्णों में भी कई उपवर्ग एवं जातियों की संख्या बढ़ाने का काम किया। आजादी के बाद आरक्षण व्यवस्था की नई शुरुवात ने इसे और गहरा करने का कार्य किया है। राजनैतिक दलों ने तो सारी सीमाओं को पार करते हुए समाज को गहरा आघात पहुंचाने लायक स्थिति में पहुंचाया है। स्पष्ट है कि वास्तव में वर्ण व्यवस्था किसी के जन्म के आधार पर नहीं बल्कि उसके कर्मों के आधार पर तय की गई थी। परन्तु वर्तमान में इसकी वंशानुगत स्थिति को स्वीकार करने या कायम रहने के कारण समाज में असंतोष और विभेद का कारक बन गई है। जाति प्रथा हमारे समाज को सही तरह से चलाने के लिए शुरू की गई थी, न कि उसे टुकड़ों में बँटकर आपस में घृणा बँटने के लिए। वर्णप्रथा की शुरुवात समाज में कार्य को विभाजित कर उसे सही रूप से कार्यान्वित करने के लिए की गई थी, न कि उँच-नीच जैसी प्रथा को प्रेरित कर समाज को ऐसा बना देना जहाँ कर्म या ज्ञान को कम और जाति को ज्यादा महत्ता दी जाती है।

हर एक आदमी की चारों जातियाँ होती हैं— ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ये चारों खूबियाँ होती हैं और समझने की आसानी के लिए हम एक आदमी को उसके खास पेशे से जोड़कर देख सकते हैं। हालाँकि जाति-प्रथा आज के दौर और सामाजिक ढाँचों में अपनी प्रासंगिकता पहले से ज्यादा खो चुकी है। यजुर्वेद—32.16— में भगवान से आदमी ने प्रार्थना की है कि “हे ईश्वर”आप मेरी ब्राम्हण और क्षत्रिय योग्यताएं बहुत ही अच्छी कर दो। इससे यह शाबित होता है कि ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि शब्द असल में गुणों को प्रगट करते हैं न कि किसी आदमी की पहचान को। अतः किसी व्यक्ति को शूद्र बताकर उससे घटिया व्यवहार करना वेद विरुद्ध है। अब तक किसी के पास ऐसा कोई तरीका नहीं कि जिससे यह फैसला हो सके कि क्या पिछले हजारों सालों से तथाकथित उँची जाति के लोग उँचें ही रहें हैं, और नीची जाति के लोग नीची जाति के ही रहें हैं।

जाति प्रथा ने हमें सिर्फ बर्बाद ही किया है। जबसे भारत ने इस जात-पात को गंभीरता से लेना शुरू किया है तब से हमारा देश दुनिया को राह दिखाने वाले दर्जे से निकलकर, दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार, भिखारी और ज्ञान आयातक देश बनकर रह गया है। पश्चिमी दुनिया के देश इसलिए इतनी तरक्की कर पाये क्योंकि उन्होंने अपनी बहुत सी कमियों के बावजूद सभी आदमियों को सिर्फ उनकी पैदाइश को पैमाना न बनाकर इंसान की इज्जत के मामलों में बराबरी का हक/दर्जा दिया।

जातिवाद से हिन्दूधर्म में गिरावट आयी है। हिन्दूधर्म के लिए इससे बड़े दुर्भाग्य की बात और क्या होगी? क्या हमारे पास ऐसी कोई चीज है जिससे कि सदियों पहले अपने छोटे-छोटे दूध पीते बच्चों की जान बचाने के लिए, बहू बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, डर और मजबूरी से अलग हुए हमारे अपने ही भाइयों को इज्जत के साथ हिन्दुधर्म में आने के लिए मना सकें? क्या हमें उन्हें भला बुरा कहने का कोई हक है? दुख है कि लोग वर्ण व्यवस्था और जातिप्रथा के बीच अन्तर नहीं समझते। यही अज्ञानता समाज में आपसी भेदभाव और उँच-नीच का विचार भाव पैदा करने का कारण बना हुआ है। इसी विचार के कारण लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। वास्तव में वर्ण व्यवस्था लोगों के व्यवसाय यानि उनके कर्मों के आधार पर निर्धारित की गई थी, किसी परिवार में जन्म लेने के आधार पर नहीं। गीता में स्पष्ट कहा गया है कि “चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं, गुण कर्म विभागशः। फिर भी लोग खुद को सवर्ण बताकर शूद्रों को हेय समझते हैं। महर्षि वाल्मिकि न तो ब्राम्हण थे और न ही क्षत्रिय या वैश्य। सभी जानते हैं कि वह शूद्र थे। इस सत्य को जानते हुए भी श्री राम ने सीता जी को उनके आश्रम भेज दिया था। इसी तरह पवित्र एवं महान कृति गीता-महाभारत की रचना एवं संकलन व्यास जी ने किया था जो सवर्ण नहीं थे। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनसे साबित होता है कि जाति या वर्ण से नहीं, मेहनत, लगन से कोई भी इंसान प्रतिभाशाली हो सकता है। अपनी मेधा से कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। इसलिए इन सब मिथकों, रूढ़ियों से उपर उठकर वैज्ञानिक एवं शास्वत चिन्तन की ओर कदम बढ़ाइये।

उत्तर:- आपने वर्ण व्यवस्था का बहुत अच्छा विस्तार से खाका खींचा है, किन्तु जाति व्यवस्था मेरे विचार में कुछ भिन्न है। गुण कर्म स्वभाव के आधार पर वर्ण बनते थे, जातियाँ नहीं। प्रत्येक वर्ण के अंतर्गत कर्म भिन्नता के आधार पर जातियाँ बनती थी। जन्म से कोई व्यक्ति तब तक शूद्र होता था जब तक गुण और कर्म के आधार पर उसे द्विज की पहचान नहीं दी जाती थी। द्विज का अर्थ कभी ब्राम्हण नहीं होता था, बल्कि ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य जिन्हें अपने-अपने तरह के यज्ञोपवित मिल जाते थे वे सभी द्विज होते थे। ये यज्ञोपवित भी प्राचीन समय में योग्यता के आधार पर मिलते थे, जो धीरे-धीरे जन्म के आधार पर रूढ़ होती चली गई। यह रूढ़िवाद किसी ने योजना पूर्वक किया नहीं बल्कि स्वतः होता चला गया, जिसने गुण और स्वभाव की पहचान को छोड़ दिया। ऐसे वर्णों के अंतर्गत कर्म के आधार पर पुनः विभाजन हुआ, जो जातियाँ बनीं। आवश्यक है कि द्विवेदी, त्रिवेदी या चतुर्वेदी ब्राम्हण वर्ग के ही हो सकते थे और सुनार, लुहार वैश्य वर्ण के अंतर्गत ही। योग्यता के आधार पर बनने वाली अर्थ-व्यवस्था का रूढ़ हो जाना गलती थी, जिसका लाभ सवर्णों ने उठाना शुरू किया और यह लाभ आज भी सवर्ण उठा रहे हैं। धीरे-धीरे सवर्णों ने षडयंत्र पूर्वक इस वर्ण और जाति व्यवस्था को आरक्षण के रूप में बदल दिया। यह अलग बात है कि वर्तमान बुद्धिजीवियों ने अपने को सवर्ण न कहकर बुद्धिजीवी कहना शुरू कर दिया और दो-चार प्रतिशत तथा कथित अवर्णों के साथ समझौता कर लिया। इन बुद्धिजीवियों ने जिनमें 95 प्रतिशत सवर्ण तथा पाँच प्रतिशत अवर्ण शामिल हैं। इन लोगों ने शूद्र शब्द हटाकर श्रमजीवी शब्द बना दिया और अब ये बुद्धिजीवी श्रम शोषण के अपने षडयंत्र में पूरी तरह सफल हो गये हैं। आश्चर्य है कि मजदूरों में भी षडयंत्र पूर्वक ये बुद्धिजीवी शिक्षित बेरोजगार बनकर श्रमजीवियों का सारा हिस्सा हड़प लेंते हैं। ये तथाकथित बेरोजगार संगठन बनाकर इस प्रकार की माँग करते हैं जो इन बुद्धिजीवियों को भी श्रमजीवी मान लें और उच्च पदों पर बैठे इनके सगे संबंधी बुद्धिजीवी इनकी माँगों को स्वीकार कर लेंते हैं। अर्थात् फिर से श्रमजीवियों के पक्ष में एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जो बुद्धिजीवियों को ही आगे आकर लड़नी होगी। देखें कौन बुद्धिजीवी इस बात की पहल करता है।

सत्यपाल शर्मा: नवी नगर बरेली उ.प्र.।

प्रश्न:-ज्ञानतत्व 279 में आपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को एक योग्य तथा अच्छा वक्ता बताया है किन्तु उन्हें अविश्वसनीय होना किस आधार पर बताया है यह नहीं पता। राहुल गाँधी को प्रधानमंत्री पद के लिए अक्षम किन्तु विश्वसनीय अपरिपक्व अनाड़ी बताया है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जन भावनाओं के अनुसार अच्छा कार्य किया तभी तो गुजरात में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। उत्तरप्रदेश में पूर्ण बहुमत में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हैं। उन्हें केवल वोट बैंक बढ़ाने की चिंता है और वोट बैंक बढ़ाने के लिए मुस्लिम तुष्टिकरण के साथ अनेक ऐसे फैसले लिए गये जिनके अमल पर हाईकोर्ट ने प्रतिबन्ध लगा

दिया। सत्तापक्ष को बड़े विवेक दूरदर्शिता निष्पक्षता तथा न्याय को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए। कानून व्यवस्था, इंसोफ व हर नागरिक के जान-माल की रक्षा करना सरकार का सबसे महत्वपूर्ण नैतिक दायित्व है। देश में पुलिस को राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त करके कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण के लिए उत्तरदायी बनाया जाए।

उत्तर:- क्षमता और योग्यता एक अलग गुण होता है और नीयत अलग। दोनों एक ही व्यक्ति में आमतौर पर नहीं होता। बिरले लोगों में ही दोनों गुण एक साथ होते हैं। जो लोग क्षमता और योग्यतावान होते हैं, वे आमतौर पर चालाक होते हैं। उनकी चालाकी जल्दी समझ में नहीं आती है। जब तक आम लोग उन्हें समझ पाते हैं, तब तक वे लोग बहुत आगे निकल जाते हैं। नरेंद्र मोदी चालाक हैं यह बात भी अब धीरे-धीरे प्रगट हो रही है और यह भी बात समझने वाले बहुत कम लोग ही हैं। वैसे तो लगभग एक वर्ष से जब से वे खुलकर मैदान में आये हैं तभी से संदेह होने लगा था। किन्तु जब से हरेन पण्डया की हत्या पर कुछ संदेह शुरू हुआ तब से कुछ अधिक संदेह होने लगा और वह संदेह तब विश्वास में बदलने लगा जब उन्होंने एक लडकी की जासूसी करानी शुरू की। ऐसा कोई विश्वसनीय आधार नहीं है जिस आधार पर यह कहा जा सके कि उस लडकी के प्रति मोदी जी के मन में किसी प्रकार के गलत भाव थे, किन्तु ऐसा भी आधार नहीं जब यह कहा जा सके कि मोदी जी के मन में निश्चित रूप से ऐसे भाव नहीं थे। उनकी चालाकी की बातें तब और स्पष्ट हुई जब उन्होंने अपने पटना के भाषण में जान-बूझकर असत्य का सहारा लिया।

जहाँ तक राहुल गॉधी का संबंध है तो राहुल गॉधी पूरी तरह शराफत की ओर बढ़ते दिखते हैं। हो सकता है वह शराफत मूर्खता की सीमा तक जा रही हो किन्तु धूर्तता की ओर जा रही है ऐसा किसी प्रकार का संदेह नहीं है। राहुल गॉधी ने मुज्जफर नगर के कैम्पों में कुछ मुस्लिम षडयंत्रकारियों की होने की बात कही। वह बात पूरी तरह सच थी, किन्तु उनका सच राजनैतिक रूप से उत्तरप्रदेश में हानिकार होने वाला था, फिर भी उन्होंने बिना सोचे-समझे यह बात कह दी। वैसे राहुल गॉधी की शराफत पर उसी समय विश्वास होने लगा था, जब उन्होंने कहा कि मेरी विवाह करने की इच्छा नहीं है। अब तक राहुल गॉधी का एक भी ऐसा उदाहरण सामने नहीं आया है कि उन्होंने कहीं चालाकी का उपयोग किया हो। पिछले दिनों तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि गॉव को अधिकाधिक अधिकार देने की जरूरत है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी अन्य राजनेता इस बात का ईमानदारी से समर्थन करके अपनी शक्ति को कमजोर नहीं करेगा, किन्तु उन्होंने इस बात को बार-बार दुहराया। जिस प्रकार राहुल गॉधी ने दागी सांसद बिल फाड़कर फेंकने की बात कही उसमें लाख खोजने के बाद भी कहीं कोई चालाकी का भाव नहीं दिखता। इन सब बातों को देखते-देखते मेरे मन में यह विचार पक्का हुआ कि नरेंद्र मोदी एक सक्षम, योग्य, चालाक वक्ता तो हो सकते हैं किन्तु विश्वसनीय नहीं है। दूसरी ओर राहुल गॉधी प्रधानमंत्री पद के लिए अक्षम, अपरिपक्व तथा अनाडी दिखते हैं। किसी व्यक्ति का अनेक बार चुनाव जीतना आवश्यक नहीं कि सामान्य लोग उस व्यक्ति से धोखा न खा रहें हों। नरेंद्र मोदी की क्षमता बारह वर्ष पूर्व उस समय प्रमाणित हुई थी, जब उन्होंने मुस्लिम साम्प्रदायिकता को सफलता पूर्वक कुचलने का काम किया था। नरेंद्र मोदी उस समय अविश्वसनीय होने लगे जब उन्होंने हिन्दू साम्प्रदायिकता का पूरी तरह दामन थाम लिया। यदि अखिलेश यादव को मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए दोष दिया जा सकता है तो हिन्दू तुष्टिकरण के नाम पर नरेंद्र मोदी का समर्थन करना आपकी निष्पक्षता पर संदेह पैदा करता है।

यू. एस. एम. पत्रिका गाजियाबाद उ.प्र.।

प्रश्न:-ज्ञानतत्व के माध्यम से आपके चिंतन पूर्ण आलेखों को मैं न केवल पढता हूँ अपितु इन्हें समय-समय पर अपनी पत्रिकाओं में प्रकाशित करके तथा पाठकों तक पहुंचाकर संवाद की प्रक्रिया को गतिमान बनाने का प्रयास करता हूँ।

‘ज्ञानतत्व’ अंक 279, 16-30 नवम्बर 2013 में राहुल गॉधी या नरेंद्र मोदी आलेख में आपने इंदिरा गॉधी की हत्या और स्वर्ण मेदिर पर सैनिकों के हस्तक्षेप को मजबूरी में होने वाला कार्य बताया है जबकि स्वर्ण मेदिर को वैसी स्थिति में पहुंचाने के लिए स्वयं इंदिरा जी ही उत्तरदायी थी जब उन्होंने पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह को कमजोर करने, तथा अकाली दल के प्रभाव

को कम करने के लिए भिंडरावाला रूपी आँतकी को बढ़ावा दिया जो बाद में सिरदर्द साबित हुआ। आस्तीन में सॉप पालने वालों को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि अवसर आने पर वही सॉप अपने पालनकर्ता को भी डस लेता है।

उत्तर:— यह स्वाभाविक है कि कोई उच्च पद वाला व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत गलतियों का प्रभाव कम करने के कारण किसी खतरनाक व्यक्ति को प्रश्रय देता है जिसके परिणाम कालान्तर में खराब होते हैं। इंदिरा जी ने वैसी ही भूल पंजाब में की थी तथा कालान्तर में वैसी ही भूल राजीव गान्धी ने श्रीलंका में की। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इस प्रकार की गई भूलें सीधे उस व्यक्ति के लिए कभी खतरा नहीं हुआ करती बल्कि ऐसी भूलें खतरनाक तब होती हैं जब ऐसी भूलों से पैदा खतरें उन उच्च पदासीन राजनेताओं की व्यक्तिगत सीमाओं से निकलकर देश या समाज के लिए खतरा बन जाते हैं। यह सही है कि भिंडरावाले को इंदिरा जी ने ही पाल-पोषण अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए खड़ा किया था, किन्तु यह भी सही है कि संत भिंडरावाले अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर देश के लिए खतरनाक होते जा रहे थे। इंदिरा जी ने भिंडरावाले को सीमा से बहुत अधिक तक बर्दाश्त किया किन्तु जब इंदिरा जी को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की अपेक्षा राष्ट्रहित के विचार ने कुछ करने के लिए मजबूर कर दिया तब न चाहते हुए भी उन्होंने राष्ट्रहित में यह कदम उठाया। व्यक्तिगत और दायित्व के बीच सीधा-सीधा फर्क करना आसान काम नहीं होता। भिंडरावाले पर आक्रमण प्रधानमंत्री ने किया इंदिरा जी ने नहीं। यद्यपि दोनों जगहों पर इंदिरा गान्धी और प्रधानमंत्री एक ही व्यक्ति थे किन्तु इनकी अलग-अलग भूमिकाएं थीं। इस तरह यह स्पष्ट दिखता है कि भिंडरावाले को पैदा करना और खड़ा करना इंदिरा जी का व्यक्तिगत स्वार्थ था और भिंडरावाले को खतम करना एक राष्ट्रीय मजबूरी थी और प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गान्धी का दायित्व भी। परिणाम भी आपके समक्ष है कि इंदिरा जी ने जो गलती की थी उसका परिणाम इंदिरा जी को व्यक्तिगत हत्या के रूप में भुगतना पड़ा और इंदिरा जी ने राष्ट्रहित में जो कदम उठाया उसके लिए वे आज तक सारे देश में सम्मानजनक मानी जाती हैं।

ओम प्रकाश आर्य : बिहारीपुर बरेली, उत्तरप्रदेश ।

प्रश्न— गत कुछ वर्षों से आपका श्रेष्ठ पाक्षिक पत्रिका ज्ञान तत्व कभी-कभी प्रायः दो या तीन माह के बाद निःशुल्क प्राप्त हो जाती है। अतः आपको कोटिशः धन्यवाद। बहुत दिनों से आपकी पत्रिका नहीं आई थी। आर्य समाज बिहारीपुर बरेली से पत्रिका संख्या 278 लेकर पढ़ी। मुझे ऐसा लगा कि सम्भवतः आपने अपने आर्थिक विचार प्रथम बार सम्पूर्णता के साथ इतने सुविस्तृत और स्पष्ट रूप से इस पत्रिका के 30 पृष्ठों में प्रकट किये।

यदि इन आर्थिक विचारों का इंग्लिस अनुवाद कराकर उसकी फोटो कापी प्रतियाँ सर्व श्री मनमोहन सिंह, श्री चिदम्बरम, नरेन्द्र मोदी, राजनाथ सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, मुलायम सिंह यादव, मायावती, सुब्रह्मण्यम स्वामी, रघुराम राजन और मोनटेंक सिंह अहलूवालिया को भेजने का कष्ट करें तो निश्चित ही इस भारत राष्ट्र के नीति निर्धारकों द्वारा राष्ट्रीय आर्थिक नीति में सम्यक परिवर्तन करने से हमारे भारत पर आपका बड़ा उपकार होगा।

उत्तर— मैंने ज्ञान तत्व 278 के माध्यम से नई अर्थनीति का जो विवरण भेजा वह आपको भी पसंद आया। इसके लिये आप धन्यवाद के पात्र हैं। किन्तु आपने जो सुझाव दिया वह इसलिये अनुपयुक्त है, क्योंकि ये सब लोग इन विषयों को अच्छी तरह समझते हैं किन्तु कुछ कारणों से ना समझ बने रहते हैं। सभी राजनैतिक दलों के सभी नेता अच्छी तरह जानते हैं कि श्रम जीवियों तथा बुद्धिजीवियों के बीच दूरी घटनी चाहिये। सभी नेता यह भी जानते हैं कि मंहगाई घट रही है तथा सभी यह भी जानते हैं कि कृत्रिम उर्जा की भारी मूल्य वृद्धि होनी चाहिये। किन्तु सभी राजनैतिक दलों के सभी नेताओं की यह मजबूरी है कि वे मध्यम श्रेणी की दया पर निर्भर हैं। यदि मध्यम श्रेणी के लोग नाराज हो जायें तो उन्हें बहुत बड़ी राजनैतिक हानि उठानी पड़ेगी। क्योंकि मध्यम श्रेणी के लोगों पर ही निम्न श्रेणी के वोट निर्भर करते हैं। स्पष्ट दिखता है कि भारतीय अर्थ व्यवस्था निम्न श्रेणी के शोषण तथा मध्यम श्रेणी के पोषक को आधार बनाकर चल रही है। अनजान लोगों को तो ज्ञान तत्व के माध्यम से जानकारी दी जा सकती है, किन्तु जो लोग सब कुछ जानते हुए भी राजनैतिक स्वार्थवश अनजान बने हुए हैं, उन्हें जानकारी देने का कोई लाभ नहीं।

कश्मीरी विस्थापन –समस्या और समाधान

रमेश कुमार चौबे, राष्ट्रीय महासचिव— लोक स्वराज मंच। मोबाइल नं०—8435023029 ।

प्रश्न:— राजनीतिक लोग कश्मीरी हिन्दुओं के विस्थापन के लिये मात्र कश्मीरी मुसलमानों को दोष देते हैं जो सरासर अन्याय है। चरम पंथियों के बजाय आम कश्मीरी मुसलमानों की निंदा करके हम जान बुझकर जहर भरते हैं उनके भीतर अपने और अपने देश के लिये। सरकार और कुछ स्वार्थी लोग जिन्हे चिताओं में रोटियां सेक कर कब्रों में दावत उड़ाने की लत पड़ चुकी है, उन्होंने जहर के बीज बोने में रात दिन बराबर कर रखा है। हमारे विचार से मूल कश्मीरियों (मुसलमानों) को दोष देना सर्वथा अनुचित है।

यह भी सही है कि आतंकवाद ग्रस्त कश्मीर में कई अजीब दास्ताने हैं। इनमें सबसे अहम और चौंकाने वाली बात उन हिन्दू विस्थापितों की है जिन्होंने पेट की आग बुझाने और घर में चूल्हे जलता रहे इसके लिये अपने बच्चों को या तो गिरवी रख दिया या फिर बेच डाला था। जबकि दूसरी ओर बिडम्बना यह है कि सरकार अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा तथा जेलों में बंद आतंकवादियों के राशन पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया गया है कि कश्मीरी अलगाववादी नेताओं को दी जाने वाली सुरक्षा पर प्रतिवर्ष डेढ़ करोड़ खर्च हो रहा है। इसमें उन सुरक्षा कर्मियों के वेतन शामिल नहीं किया गया है, जो उनकी सुरक्षा में तैनात किये गये हैं। रोचक और चौंकाने वाला तथ्य यह है कि ऐसे पचास के करीब कश्मीरी अलगाववादी नेता हैं जिन्हें राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार के आदेश पर सरकारी सुरक्षा मुहैया करवा रखी है। वे भारतीय सरकार की सुरक्षा के बीच रहते हुए भी भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार से बाज नहीं आते।

राष्ट्रीय विचार मंच के श्री जगदीश्वर चतुर्वेदी जी का लेख **सभ्यता का अंत है—कश्मीरी पंडितों का विस्थापन** पूरी स्थिति स्पष्ट करने के लिये पर्याप्त है—कश्मीरी पंडितों का वैभव और सांस्कृतिक सम्पन्नता का इतिहास रहा है। भारत की श्रेष्ठतम बौद्धिक परंपराओं को कश्मीरी पंडितों ने पैदा किया। भारत का मान सम्मान सारी दुनिया में उँचा किया। कश्मीरी पंडित मधुर भाषी, ज्ञानी लोग रहे हैं। कश्मीरी पंडितों का समूचा समुदाय साम्प्रदायिक सहिष्णुता का आदर्श रहा है और आज भी है। ज्ञान, शान्ति और सभ्यता का विकास ये तीन इनके सामूदायिक लक्ष्य रहें हैं। ये लोग हिंसा से कोसों दूर हैं। कश्मीरी पंडित कश्मीरियत की पहचान के आदर्श मानक भी हैं। उनका विस्थापन कश्मीरियत का अंत है। कश्मीरी पंडितों ने कभी किसी पर हमला नहीं किया। वे कभी साम्प्रदायिक नहीं बने। सभ्य और नरम स्वभाव के कारण उन्हें निशाना बनाया गया।

कश्मीर में मुस्लिम साम्प्रदायिकता का लंबे समय से गहरा असर रहा है, और समय—समय पर स्थानीय राजनैतिक पार्टियों मुस्लिम साम्प्रदायिकता के सामने समर्पण और समझौते करती रही हैं। इसके जबाब में हिन्दू साम्प्रदायिकता भी प्रतिकार स्वरूप हिन्दुओं को एकजुट करती रही है। वर्तमान में कश्मीरी पंडित शरणार्थी हैं और अपनी जमीन जायदाद और मातृभूमि से बेदखल होकर दिल्ली और जम्मू में बंदा, अशांत और संस्कृति विहीन जिंदगी जी रहे हैं। भारत सरकार शरणार्थी कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास, घर वापसी और सुरक्षा को अभी तक सुनिश्चित नहीं कर पायी हैं। कश्मीरी पंडित दोबारा क्यों नहीं बस पाये? इन सवालों का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता। सरसरी तौर पर इसका प्रधान कारण है कश्मीर प्रशासन का साम्प्रदायिक चरित्र और केन्द्र सरकार का साम्प्रदायिकता के प्रति नरम रूख। कश्मीर प्रशासन का साम्प्रदायिक चरित्र विगत 50 सालों में बना है उनमें नेशनल काँग्रेस और कांग्रेस की मिली भगत रही है। दोनों पार्टियों मुस्लिम साम्प्रदायिक ताकतों से बढ़त हासिल करने के लिए अनेक ऐसे कदम उठा चुकी हैं जिससे साम्प्रदायिक भेदभाव बढ़ा।

मुस्लिम साम्प्रदायिकता को जनता से काटने के चक्कर में ये दोनों दल जनता से कटते चले गये। आज हालात यह हैं कि कश्मीर में सेना न भेजी जाये तो कांग्रेस और नेशनल काँग्रेस का एक भी कार्यकर्ता वहाँ जिंदा न बचें। कई लाख सैन्य और अर्द्धसैन्य बलों के भरोसे भारत का झंडा कश्मीर में फहरा रहा है।

उल्लेखनिय बात यह है कि—जिस समय कश्मीरी पंडित शरणार्थी बनाये जा रहे थे, संघ परिवार राम मंदिर आंदोलन के नाम पर सारे देश में मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैलाने का काम कर रहा था। देश के विभिन्न इलाकों में साम्प्रदायिक संगठन मुसलमानों को सबक सिखाने, दंगा और हत्या करने का काम कर रहे थे। दूसरी ओर कश्मीर में मुस्लिम फंडामेंटल साम्प्रदायिक संगठनों के द्वारा कश्मीरी पंडितों का सुनियोजित कत्लेआम किया जा रहा था। यहां यह कहना मुश्किल है कि कौन किससे प्रेरणा ले रहा था।

कश्मीर पंडितों की शरणार्थी समस्या राष्ट्रीय समस्या है। यह भारत के धर्मनिरपेक्षता पर लगा बदनूमा दाग है। यह दाग जितना जल्दी मिटे भारत का उतनी ही जल्दी मंगल होगा। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी सभ्यता की वापसी कहलाएगी, यह काम हमें सर्वोच्च प्राथमिकता देकर करना चाहिये।

सत्ता में पांच वर्ष पूरे करने वाली गठबंधन सरकार कश्मीरी पंडितों की वापसी कराने में नाकाम रही। मुख्य मंत्री ने विस्थापित कश्मीरी पंडितों को विश्वास दिलाया है कि कश्मीर उनके बिना अधूरा है। उनकी सम्मानजनक वापसी होगी। कश्मीरी पंडितों के लिये बेहतर आर्थिक और रोजगार पैकेज हासिल करने का मुद्दा केन्द्र सरकार के समक्ष उठायेगें। प्रश्न यह है कि कब तक झूठे आश्वासन दिये जाते रहेंगे? इन विस्थापित हुए कश्मीरी पंडितों के साथ राजनीतिक पार्टियाँ एक तरह से झूठी तुष्टीकरण की नीति अपना रही हैं। दोहरा मानदंड आखिर क्यों ?

उत्तर प्रदेश के मुज्जफ्फर नगर में बस थोड़े ही मुस्लिम विस्थापित हुये हैं। अभी वक्त भी अधिक नहीं हुआ लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर हाय तौबा मचा हुआ है जबकि उनसे कहीं ज्यादा नारकीय स्थिति कश्मीरी विस्थापित पंडितों की बनी हुई है। और पूरा का पूरा देश आखिर मौन क्यों है? समाज को आगे आना पड़ेगा। तभी ऐसी वीभत्स्य समस्या का सार्थक समाधान निकलेगा।

उत्तर— इस संबंध में एक विस्तृत लेख ज्ञान तत्व के इसी अंक में जा रहा है आप उस लेख को पढ़कर यदि समीक्षा करेंगे तो और अच्छा होगा।

अपनी से अपनी बात—

1. श्री मति कमलेश शर्मा : विजनौर उ०प्र०

प्रश्न— हमको ज्ञान तत्व पाक्षिक कभी मिल जाता है कभी नहीं भी मिलता है। ज्ञान तत्व भेजने के लिये धन्यवाद।

2. प्र०० भाग सिंह आर्य : कैथल हरियाणा।

प्रश्न:— आप द्वारा लिखित ज्ञानवर्धक व प्रगतिशिल विचार, ज्ञानतत्व पाक्षिक के माध्यम से पढ़ने को मिलते रहते हैं इसलिये धन्यवाद। लेकिन पत्रिका नियमित नहीं मिलती।

उत्तर— ज्ञान तत्व आपको कभी-कभी मिलता है यह सच है। हमारे कार्यालय के द्वारा मुझे बताया गया कि ज्ञान तत्व के पाठकों को इस बात के लिये चिट्ठी भेजी गई थी कि ज्ञान तत्व आपको मिलता है कि नहीं? काम आता है या नहीं? यह चिट्ठी सिर्फ उन्हीं पाठकों को भेजी गई थी जो दिसम्बर 2012 तक हमारे पाठक थे। उसके बाद के पाठकों को चिट्ठी नहीं गई है। तीन-तीन पोस्टकार्ड भेजे जाने के बाद भी जिनका कोई उत्तर नहीं आया, उनके विषय में हमारी यह धारणा बनी कि या तो वे पाठक जीवित नहीं हैं अथवा उन्होंने मकान बदल लिया है अथवा वे कभी न स्वयं देखते हैं न दूसरों को देते हैं। ऐसे उत्तर न प्राप्त करने वालों के ज्ञानतत्व भेजने में जून माह से 25 प्रतिशत कटौती की गई। अक्टूबर माह से 50 प्रतिशत कटौती की गई। दिसम्बर माह से 75

प्रतिशत कटौती की गई और फरवरी माह से शत-प्रतिशत कटौती कर दी जायगी। तब तक जब तक आपका कोई उत्तर नहीं आता। आप फोन करके भी सूचना दे सकते हैं। पत्र द्वारा भी सूचना दे सकते हैं।

ज्ञान तत्व पाक्षिक निःशुल्क नहीं है। लेकिन ज्ञान तत्व सशुल्क भी नहीं है। पाठक अपनी क्षमतानुसार सहायता के रूप में जो चाहे भेज सकते हैं। वैसे हमें प्रति ज्ञान तत्व वार्षिक सौ रूपया का खर्च आता है। आप 10 रु भी भेज सकते हैं। सौ रूपये भी भेज सकते हैं, हजार रूपया भी भेज सकते हैं और दस हजार रूपया भी भेज सकते हैं। आप चाहें तो नहीं भी भेज सकते हैं। अगर आप ज्ञान तत्व पाक्षिक पत्रिका की सहायता राशि जमा करना चाहते हैं तो आप बजरंग लाल अग्रवाल, एस बी आई 11374646729 रामानुजगंज जिला-बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़ में आप पैसा जमा करा सकते हैं। आप मनिआर्डर भेज सकते हैं अथवा आप बजरंग अग्रवाल अथवा बजरंग मुनि, बनारस चौक, अम्बिकापुर सरगुजा छत्तीसगड के लिए चेक के द्वारा भी पैसा जमा करा सकते हैं।

यदि आप आधुनिक साधनों का उपयोग करते हो तो आप इंटरनेट पर kaashindia.com काश इंडिया डाट काम की वेबसाइट खोलकर उस वेबसाइट के मैगजीन भाग में जाकर नवीनतम व पुराने ज्ञान तत्व के अंक पढ़ सकते हैं। इससे आपको यह सुविधा होगी कि छपाई और डाक के विलंब की अपेक्षा आप हर महीने की पांच और बीस तारीख के करीब ज्ञान तत्व पढ़ सकते हैं। जो पोस्ट से जाते जाते करीब 25 दिन लग जाते हैं। आप ज्ञान तत्व पढ़कर उन विचारों पर टिप्पणी भी कर सकते हैं। और वह टिप्पणी bajrang.muni@gmail.com पर ई-मेल कर सकते हैं या पत्र लिख सकते हैं।

हम आपसे एक और अपेक्षा करते हैं कि आप कुछ नये नाम और पते इस प्रकार भेजे जिससे एक जिले में कम से कम 100 पाठकों की संख्या बन सके। आप नये नामों की सूची पत्र द्वारा भी भेज सकते हैं या ई-मेल भी कर सकते हैं। यदि आप ज्ञान तत्व में उठाये गये विषयों को टी वी के माध्यम से देखना चाहते हैं तो रिलायंस कंपनी की छतरी के 425 नम्बर के चैनल ए टू जेड न्यूज चैनल पर आयोजित समाधान विषय पर प्रत्येक महीने चार दिन खुली बहस में देख सकते हैं। यह बहस प्रत्येक माह के प्रत्येक रविवार और प्रत्येक सोमवार को रात आठ से नौ बजे तक प्रसारित होती है। महीने में चार अलग-अलग विषयों पर यह बहस प्रसारित होती है और यही बहस उसी समय पर इन्हीं दिनों में एक-एक बार पुनः प्रसारित होती है। इस तरह आप प्रति माह 8 बार रविवार और सोमवार की रात आठ से नौ बजे तक समाधान कार्यक्रम के अंतर्गत यह बहस सुन सकते हैं। यह बहस लाइव प्रसारित नहीं होती है, बल्कि कुछ दिनों पूर्व रिकार्ड कि जाती है, जो उस समय प्रसारित होती है। इसी टी वी चैनल पर शुक्रवार की शाम 4:30 बजे से 5:00 बजे तक तथा शनिवार की रात 8 से 8:30 बजे तक ऐसा देश हो मेरा कार्यक्रम के अंतर्गत मुझे अर्थात् बजरंग मुनि से एंकर की सीधी बातचीत प्रसारित होती है। यह बातचीत भी अलग-अलग विषयों पर हर महीने में चार बार प्रसारित होती है। जो चार बार पुनः प्रसारित होती है। इस तरह ऐसा देश हो मेरा तथा समाधान कार्यक्रम को मिलाकर प्रति माह 8 अलग अलग विषयों पर तथा 8 उन्हीं के पुनः प्रसारण मिलाकर 16 दिनों तक आप मुनि जी के विचारों को सुन सकते हैं।

ज्ञान तत्व पाक्षिक न तो कोई साहित्यिक पत्रिका है न ही धार्मिक। ज्ञान तत्व में स्थापित तथा निर्विवाद सत्य का प्रचार-प्रसार भी नहीं होता ना ही महापुरुषों के विचार प्रसारित होते हैं। ज्ञान तत्व में विवादित विषयों पर समीक्षा ही प्रकाशित होती है। अनेक पाठकों को ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा लेख भेजा था किन्तु वह नहीं छपा। यह बात सच भी है क्योंकि उनके लेख का कोई भी अंश विवादित नहीं पाया गया इसलिये उसे ज्ञान तत्व में स्थान नहीं मिला। अनेक पाठकों को ऐसा लगता है कि वे जो भी लिखते हैं मुनि जी किसी ना किसी तरह उसके विरुद्ध लिख देते हैं। यह बात सही भी है क्योंकि आपके कथन के विरुद्ध यदि कुछ प्रश्न उठाने की गुंजाइस नहीं होगी तो आपके पत्र को ज्ञान तत्व में स्थान नहीं मिल पाएगा। हमारा उद्देश्य विचार मंथन है विचार प्रसार नहीं। हम उस पाठक को ज्ञान तत्व में सबसे ज्यादा स्थान देते हैं, जो मेरे विचारों पर प्रश्न उठाते हैं और प्रश्नों के उत्तरों पर भी प्रति प्रश्न करते हैं। सुनिल तामगाडगे के विचारों तथा आचार्य पंकज जी के उत्तर इसके उदाहरण हैं। अतः मैं चाहता हूँ कि आप खोज-खोज कर प्रश्न करें। मैं जानता हूँ कि जगदीश गांधी लखनऊ उत्तर प्रदेश के शिक्षण संस्थान

से जुड़े हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं, हमेशा बहुत अच्छे सुलझे हुए विचार भेंजते हैं किन्तु जब तक मुझे उनके विचारों में कोई विरोधाभास नहीं दिखता तब तक मैं उनके विचारों को प्रकाशित नहीं कर पाता। मेरा निवेदन है कि मेरी मजबूरी को भी पाठक समझेंगे। मैं हमेशा चाहता हूँ कि जो लोग आर्थिक दृष्टि से सक्षम हैं वे आर्थिक सहायता देकर, जो विचार मंथन में भाग ले सकते हैं वे प्रश्नोत्तर में भाग लेकर और वे जो सिर्फ सहानुभूति रखते हैं, वे नये नाम भेजकर सहायता कर सकते हैं। ज्ञान तत्व सब प्रकार की सहायता की अपेक्षा रखता है।

खबरें इस पखवाड़े की

जब से विधानसभा चुनाव के चार राज्यों के चुनाव परिणाम आये हैं, तभी से कॉंग्रेस सरकार ने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल ली है। कॉंग्रेस को यह समझ में आ गया है कि अगली सरकार उनकी नहीं बनने वाली है। इसलिए कॉंग्रेस लोकहित के कार्यों को करना छोड़कर लोकप्रिय कार्यों को करने की ओर मुड़ गई है। कॉंग्रेस पार्टी और सरकार दोनों ही यह समझते हैं कि खर्च बढ़ाना और आय घटाना एक लोकप्रिय कदम होता है। भले ही इससे अर्थ व्यवस्था पर दूरगामी दुष्परिणाम होंगे हैं। चूँकि लोकसभा चुनाव तीन महीने में ही हाने वाले हैं, इसलिए सरकार गैस सिलेंडरों की संख्या बढ़ाने अथवा डीजल के दाम घटाने जैसे लोकप्रिय कदम उठाने की सोच रही है। ऐसे लोकप्रिय कदम अगले एक महीने में और भी उठाये जा सकते हैं। सरकार यह भी जानती है कि भारत में भी अमेरिका के विरुद्ध जनमत प्रबल है। अमेरिका से टकराव लेना पूरी तरह देश-हित के विरुद्ध है फिर भी भारत सरकार ने देवयानी खोबरागड़े जैसे मामूली मुद्दे को इतना अधिक तूल दिया। इससे यह स्पष्ट है कि सरकार लोगों की भावनाओं को शॉत भी करना चाहती है तथा आगे आने वाली सरकारों की राह में कोंटें भी बिछाना चाहती है। अमेरिका सहित सारी दुनिया आश्चर्य चकित है कि भारत सरकार को एका-एक यह क्या हो गया है? मुझे तो लगता है कि यदि चार राज्यों के चुनाव आठ महीने पहले हो गये होते तो भारत सरकार पाकिस्तान से भी उलझ सकती थी। आगे देखिए कि राजनीति के दौंव-पेंच में अगले तीन महीने किस तरह बीतते हैं। देवयानी प्रकरण से भाजपा सहित अन्य दलों के हाथ का मुद्दा छीन गया और उनकी बोलती बन्द हो गई है, उनकी गति सॉप-छछूँन्दर की हो गई है।